न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री उत्सव कौशल, आई.ए.एस.

रण संख्या 87/2018

उनवान

श्री नति रूपी पत्नी मेघा रेगर निवासी औजयाडा तहसील हमीरगढ —प्रार्थी

बनाम

श्री लादुलाल पिता मांगीलाल रेगर नि0 औजयाडा तहसील हमीरगढ
श्री लोमा पिता श्री गोकल बलाई नि0 औज्याडा तहसील हमीरगढ
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ —अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 12.02.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भूँ—राजस्व अधिनियम के तहत इस कार्यालय में दिनांक 28.09.2018 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम औज्याडा र हल्का औज्याडा भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र व तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि जी नम्बर 2210/2033 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। न स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 28.09.2018 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के क्ता उपस्थित विपक्षी संख्या 01 से 03 बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना र प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार ख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व रेत किये जाते है। अतः इनत थ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम औज्याडा पटवार औज्याडा भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र व तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि आराजी नम्बर /2033 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि की पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में रेत प्रकिया के अनुसार नियमानुसार निर्धारित शुल्क 500/— पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, ही कमिश्नर फीस 500/—रू0 की नियमानुसार अदसयगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को न करें।

आदेश आज दिनांक 12.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल होकर दाखिल दफ्तर रहे।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

Scanned by CamScanner